आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 29/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक शाखा एम आई रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स एस रॉबर्टस फार्मासीटीकल्स जरिये प्रोपराईट श्री नरेन्द्र कुमार सुखानी पुत्र श्री भगवान दास सुखानी
   पता–538 ए, सिन्धी कालोनी, राजापार्क, जयपुर ।
2. श्री नरेन्द्र कुमार सुखानी पुत्र श्री भगवान दास सुखानी
   फ्लैट नं॰ 4/721, प्रथम तल, सेक्टर 04, शिव मन्दिर के सामने, जवाहर नगर, जयपुर ।
3. श्रीमती प्रीति सुखानी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार सुखानी
   फ्लैट नं॰ 4/721, प्रथम तल, सेक्टर 04, शिव मन्दिर के सामने, जवाहर नगर, जयपुर ।
4. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री महेश कुमार वर्मा
   49, कटेवा नगर, गुर्जर की थडी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– अधिवक्ता रूकसाना प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 09.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.06.2017, 02.06.2017 एवं 2.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार सुखानी पुत्र श्री भगवान दास सुखानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ 4/721, प्रथम तल, सेक्टर 04, शिव मन्दिर के सामने, जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 1193.86 वर्गफिट को बन्धक कर राशि क्रमशः 6,00,000/–, 9,00,000/– एवं 20,00,000/–रूपये कुल राशि 35,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र

जिस्ट्रेट
जयपुर

प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं वकालतनामा पेश करने व जबाब बहस हेतु समय चाहा ।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया। धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है इसलिए अप्रार्थीगण को और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 35,00,000/– रूपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पस गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल रू. 35,54,034/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगणों को दिनांक 23/11/2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार सुखानी पुत्र श्री भगवान दास सुखानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ 4/721, प्रथम तल, सेक्टर 04, शिव मन्दिर के सामने, जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 1193.86 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने मे सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु सबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

8. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 09.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

9/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर